

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002**

F.No. 28-1/2019 (BSR-FRP)

Date: 04 August, 2019

PUBLIC NOTICE

**SUBJECT: SUBMISSION OF LEGACY CASES DATA ON UGC-CANARA BANK
SCHOLARSHIP PORTAL**

The UGC has enabled the option to feed in/upload the data of legacy cases on the designated web portal <https://scholarship.canarabank.in/> upto **30th September, 2019**. All the Universities/Institutions are hereby informed to ensure that all the pending legacy cases entries are made on the portal within given time line.

It may be noted that portal will not accept legacy cases after 30.09.2019.

Note: Legacy cases refer to the beneficiaries for whom the fellowship/scholarship was paid by UGC to the host Universities/Colleges/Institutions and the tenure of beneficiary is continuing after 01.07.2016.



**(Prof. Rajnish Jain)
Secretary**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002

मि.सं. 28-1 /2019 (बीएसआर-एफआरपी)

दिनांक: 04 अगस्त, 2019


सार्वजनिक सूचना

विषय: छात्रवृत्ति के लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) का यूजीसी- केनरा बैंक के छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रस्तुतिकरण

यूजीसी ने 30 सितम्बर, 2019 तक निर्दिष्ट वेब पोर्टल <https://scholarship.canarabank.in/> पर लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) को फीड/ अपलोड करने का विकल्प संभव बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दी गई समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) की प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं।

यह नोट किया जाए कि पोर्टल 30.09.2019 के बाद लंबित पुराने मामलों (Legacy Cases) को स्वीकार नहीं करेगा।

नोट: लंबित पुराने मामले (Legacy Cases) उन लाभार्थियों के संदर्भ में हैं जिनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ संस्थानों के माध्यम से फेलोशिप/ छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था और लाभार्थी का कार्यकाल 01.07.2016 के बाद भी जारी है लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा है।


(प्रो० रजनीश जैन)
सचिव